बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::- 3452

संचिका सं०- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-2)-........03.07.2026 संयुक्त निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-58/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा दिनांक-05.08.2024 को बाल विकास परियोजना, फलका अन्तर्गत तीन ऑगनबाड़ी केन्द्रों यथा केन्द्र संख्या-42, 139, 47 के किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया था।

जॉच प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्र सं०-42 एवं 47 बंद पाये जाने, निरीक्षित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहायिका अनुपस्थित पाये जाने, केन्द्र संख्या-139 पर उपस्थित बच्चों की संख्या मात्र 02 पाये जाने एवं दोनों बच्चे पोशाक में नहीं पाये जाने, केन्द्र पर वजन मशीन उपलब्ध नहीं पाये जाने, नास्ता देने का समय होने पर नास्ता नहीं दिये जाने न हीं कोई सामग्री उपलब्ध रहने, केन्द्र पर कोई गतिविधि संचालित नहीं पाये जाने, भण्डार पंजी की जॉच नहीं होने, पोषाहार वितरण पंजी संधारित नहीं पाये जाने, सेविका सहायिका द्वारा विभागीय मानको के अनुरूप केन्द्र का संचालन नहीं किये जाने, केन्द्र संचालन संबंधी अन्य कई अनियमितताओं के पाये जाने का उल्लेख किया गया।

जाँच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों/ अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत श्रीमती पामेला टुड्डु, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार को निलंबित करते हुए आरोप पत्र गठित किया गया। अनुमोदित आरोप पत्र पर श्रीमती पामेला टुड्डु से विभागीय पत्रांक-4251 दिनांक-05.09.2024 द्वारा लिखित अभिकथन की मॉग की गई। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती टुड्डु के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या-6547 दिनांक-04.09.2025 द्वारा श्री योगेश कुमार सागर, तत्कालीन संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती अमृता सिंह, सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने के कारण आशुलिपिक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के गै०स०प्रे० सं०-08(को०) दिनांक-01.06.2026 द्वारा विभागीय कार्यवाही का फोल्डर वापस कर दिया गया तथा उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के शिशु देखभाल अवकाश पर जाने की सूचना उनके पत्रांक- शून्य दिनांक-07.05.2026 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती टुड्डु के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) (5) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विभागीय कार्यवाही का फोल्डर (आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति) सहित श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा एक प्रति श्रीमती पामेला टुड्डु, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार सम्प्रति शाहकुण्ड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/07/26

(मार्गण सिन्हा)

उप सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-145/2024 (खण्ड-2)- 3452 पटना-15 दिनांक :- 03.07.2026

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाही का फोल्डर (आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति) के साथ श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्रीमती पामेला टुड्डु, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार सम्प्रति शाहकुण्ड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/26

उप सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-145/2024 (खण्ड-2)-3452 पटना-15 दिनांक :03.07.2026

निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियॉ/भागलपुर/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कटिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/26

उप सचिव

समाज कल्याण विभाग।